

34

## छ. ग. का पुरस्कार प्राप्त कर्ता

पुरस्कार का नाम	क्षेत्र	प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता
♦ शहीद वीरनारायण सिंह सम्मान	आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग	आदिवासी शिक्षण समिति पाडीमल
♦ यातियतन लाल पुरस्कार	अहिंसा एवं गौ सेवा	रमेश याज्ञिक व हरिप्रसाद सिंह
♦ गुडाधूर सम्मान	खेल	आशीष अरोड़ा (वॉलीबाल)
♦ मिनीमाता सम्मान	महिला उत्थान	श्रीमती विन्नी बाई
♦ गुरु घासीदास सम्मान	सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान	डॉ. रत्नलाल जांगड़े एवं राजमहंत जगतु सोनकर
♦ डा. प्यारेलाल सिंह	सहकारिता	प्रीतपाल येलचंदन और बृजभूषण देवांगन
♦ हाजी हसन अली	उर्दू भाषा की सेवा	सेमुअल डेनियल
♦ महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान	तीरंदाजी	अरविंद सोनी एवं ठेकलाल
♦ पं. रविशंकर शुल्क सम्मान	सामाजिक एवं आर्थिक योगदान	श्री कंयूर भूषण
♦ पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान	आंचलिक साहित्य	श्री विनोद कुमार शुक्ल
♦ चक्रधर सम्मान	संगीत एवं कला	किशोरी अमोनकर [CG PSC (SSE) 2016]
♦ डॉ. खूबचंद बघेल	कृषि	श्री कांत गोवर्धन
♦ अखिल भा. महाराजा अग्रसेन	सामाजिक समरसता	कुष्ठ निवारण संघ चांपा
♦ चंदुलाल चंद्राकार स्मृति पुरस्कार	प्रिंट मीडिया (हिन्दी)	सुश्री आरती धर
♦ मधुकर खेर स्मृति सम्मान	प्रिंट मीडिया (अंग्रेजी)	
♦ दानवीर भामाशाह सम्मान	दानशीलता एवं सौहार्द	विलासपुर सेवा भारती
♦ भगवान धनवंतरी सम्मान	आयुर्वेदिक चिकित्सा	[CG PSC (SSE) 2016]
♦ विलासा बाई केंवटीन सम्मान	मछली पालन	
♦ संस्कृत भाषा सम्मान	संस्कृत भाषा प्रसार	
♦ डॉ. भंवर सिंह पोर्ते सम्मान	आदिवासी सेवा और उत्थान	
♦ महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव	श्रम	
♦ पं. लखनलाल मिश्र सम्मान	अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में	
♦ छ.ग. अप्रवासी भारतीय सम्मान	विदेशों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए	

35

# छ. ग. के व्यक्तित्व राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर्ता

## पद्मभूषण



श्री सत्यादेव दुबे  
2011 - पद्म भूषण









श्रीमती तीजन बाई  
1987 - पद्मश्री  
2003 - पद्म भूषण












श्री हमीब तनवीर  
1983 - पद्मश्री  
2002 - पद्म भूषण

## पद्मश्री

नाम	व्यक्ति	प्राप्त पुरस्कार	योगदान
पं. मुकुटधर पांडेय		पद्मश्री (26 जनवरी 1976)	साहित्य लेखन हेतु
राजमोहनी देवी		पद्मश्री (1989)	समाज सेवक हेतु

श्री धरमपाल		पद्मश्री (1992)	
डॉ. अरुण त्रयंबक		पद्मश्री (2004)	
श्री पुनाराम निषाद		पद्मश्री (2005)	पण्डवानी के लोक कलाकार
सुश्री मेहरुन्निसा परवेज		पद्मश्री (1992)	
डॉ. महादेव प्रसाद		पद्मश्री (1992)	
श्री जार्ज मार्टिन नेल्सन		पद्मश्री (2008-09)	

श्री गोविन्द राम		पद्मश्री (2009)	
श्री सुरेन्द्र दुबे		पद्मश्री (2010)	हास्य कवि
श्री पुखराज बाफना		पद्मश्री (2011)	
श्रीमती शमशाद बेगम		पद्मश्री (2012)	
श्रीमती फुलबासन बाई यादव		पद्मश्री (2012)	
श्री अनुज शर्मा		पद्मश्री (2014)	लोक कलाकार (छत्तीसगढ़ी फिल्म में)

सुश्री सबा अंजुम		पद्मश्री (2015)	खिलाड़ी (हॉकी खेल)
ममता चन्दाकर		पद्मश्री (2016)	लोक कलाकार एवं गायिका
श्री अरुण शर्मा		पद्मश्री (2017)	पुरातात्विक विद

35


## छ. ग. के विभिन्न बोर्ड एवं आयोग

आयोग/ बोर्ड का नाम	स्थापना सन्	मुख्यालय	प्रथम अध्यक्ष	वर्तमान पदाधिकारी
1. छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग	14 अगस्त 2008	रायपुर	डॉ. श्यामलाल चतुर्वेदी	विनय कुमार पादक
2. छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग	24 मार्च 2001	रायपुर		हर्षिता पाण्डेय
3. छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाऊसिंग कॉर्पोरेशन	2 मई 2002	रायपुर		
4. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग	7 नवम्बर 2005	रायपुर	ए.के. विजयवर्गीय	श्री सरजियस मिंड
5. ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान	1 नवम्बर 2002	रायपुर		
6. राज्य पर्यटन मण्डल	18 जनवरी 2002	रायपुर		
7. छ.ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग	2003	रायपुर		
8. छ.ग. लोक सेवा आयोग	23 मई 2001	रायपुर	श्री मोहन शुक्ल	श्री. के. आर. पिस्टा
9. छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग	28 सितम्बर 2001	रायपुर		ठा. रामसिंह
10. छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रन्थ अकादमी	जनवरी 2006	रायपुर		शंशाक शर्मा
11. छ.ग. राज्य मानवाधिकार आयोग	16 अप्रैल 2001	रायपुर		जस्टिस राजीव गुप्ता
12. छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल	20 जुलाई 2001	रायपुर		
13. छ.ग. राज्य अनु.जनजाति आयोग	12 नवम्बर 2000	रायपुर		जी.आर. राणा
14. छ.ग. राज्य अनु. जाति आयोग	फरवरी 2001	रायपुर		
15. छ.ग. राज्य वित्त आयोग	1 नवम्बर 2000	रायपुर		

37

# छ. ग. बजट एवं आर्थिक समीक्षा 2016-17

## ■ राजस्व प्राप्तियों



## ■ सकल राज्य घरेलु उत्पाद (GSDP)

आधार दर	2014-15		2015-16	
	मूल्य (लाख रु.)	गत वर्ष तुलना में वृद्धि दर	मूल्य (लाख रु.)	गत वर्ष तुलना में वृद्धि दर
स्थिर भाव पर	18882990	7.85 प्रतिशत	20218017	7.07 प्रतिशत
प्रचलित भाव पर	22298959	13.00 प्रतिशत	25144714	12.76 प्रतिशत





### 3. सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार योगदान (प्रतिशत में)

आर्थिक क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17
कृषि क्षेत्र	17.93 प्रतिशत	16.85 प्रतिशत	15.02 प्रतिशत
उद्योग क्षेत्र	46.30 प्रतिशत	49.07 प्रतिशत	49.02 प्रतिशत
सेवा क्षेत्र	35.77 प्रतिशत	34.00 प्रतिशत	35.06 प्रतिशत

### ■ राजकीय उत्पाद में आर्थिक क्षेत्रों का योगदान क्रम -

प्रथम	: उद्योग क्षेत्र (49.02%)
द्वितीय	: सेवा क्षेत्र (35.06%)
तृतीय	: कृषि क्षेत्र (15.02%)

### ■ प्रति व्यक्ति आय : निवल/शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर (NSDP में)

आधार	2015-16	2016-17
प्रचलित भाव पर	84767 रु.	91772 रु.

(स्रोत :- आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17, पेज क्र. - 24)

### ■ सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- ◆ प्रदेश में फरवरी 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है।
- ◆ खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ है।
- ◆ प्रदेश में कुल 12332 उचित मूल्य की दुकान संचालित हो रही है।
- ◆ प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 लागू है।
- ◆ सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकान वाला जिला - राजनांदगाँव
- ◆ न्यूनतम उचित मूल्य की दुकान वाला जिला - नारायणपुर
- ◆ प्रदेश में 5850191 कुल परिवारों को राशनकार्ड जारी किए हैं। (फरवरी 2017 की स्थिति में)

कुल राशनकार्ड धारकों की वर्गवार संख्या	
अनुसूचित जाति	- 14.58 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	- 32.57 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग	- 47.59 प्रतिशत
सामान्य वर्ग	- 5.24 प्रतिशत

(स्रोत :- आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17, पेज क्र. - 48)



### ■ संस्थागत वित्त (आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17)

- ♦ राज्य में कुल बैंक शाखाएँ — 2454
- ♦ सहकारी बैंक शाखाएँ — 262
- ♦ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा — 584
- ♦ निजी बैंक शाखा — 229
- ♦ वाणिज्यिक बैंक शाखा — 1379
- ♦ राज्य में जिला केन्द्रीय सरकारी बैंको की संख्या — 07 (एवं कार्यरत शाखाएँ 257 है।)
- ♦ प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख समिति — 1333 (के माध्यम से 1982 केन्द्रो द्वारा धान उपाजन)
- ♦ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अन्तर्गत पंजीकृत संख्या — 46.63 लाख
- ♦ प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रदेश में कुल खाता — 1,21,58,934 (08 फरवरी 2017 तक)
- ♦ अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकृत संख्या — 25000 से अधिक
- ♦ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत संख्या — 9.59 लाख
- ♦ वर्तमान में कुल विद्युत उपभोक्ता — 4 लाख 13 हजार है।

### ■ मानव विकास सूचकांक : छत्तीसगढ़

- ♦ स्वास्थ्य सूचकांक मूल्य — 0.49
- ♦ जीवन स्तर सूचकांक मूल्य — 0.127
- ♦ शिक्षा विकास मूल्य — 0.526
- ♦ छ.ग. मानव विकास सूचकांक मूल्य — 0.358
- ♦ छ.ग. का एचडीआई में भारत में स्थान — 23 वीं
- ♦ एचडीआई में प्रथम स्थान प्राप्त जिला — कोरबा

### ■ राज्य वित्त आयोग (Finance Commission)

- ♦ भारतीय संविधान के अनु. 243(1) के तहत राज्यपाल द्वारा पंचायतों एवं नगरी निकाय की वित्तीय स्थिती का पुनरावलोकन के लिए राज्यवित्त आयोग का गठन किया जाता है।

[CG PSC (ARTO) 2017]

(38)

# राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएँ

## महिला एवं बाल विकास विभाग

### मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजन -

- शुरुआत - 6 अप्रैल 2010 (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सहायता से)
- उद्देश्य - जन्मजात बाधिरता और छोटे बच्चों में होने वाली बाधिरता से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करना भाषा एवं वाणी का विकास करना।

### 108 संजीवनी एक्स प्रेस एम्बलेंस सेवा -

- शुरुआत - 25 जनवरी 2011
- उद्देश्य - किसी भी अपात स्थिति जैसे-गंभीर बीमारी, दुर्घटना, आगजनी, व अन्य स्थिति में टोल फ्री नम्बर 108 पर किसी दूरभाष या माबाईल लैंडलाइन से बिना कोड के डायल कर इसे बुलाया जा सकता है।

### 104 आरोग्य सेंवा-

- शुभारंभ - 23 सितम्बर 2013 (छ.ग. शासन एवं एन. आर. एच. एम. के द्वारा)
- उद्देश्य - कॉल सेंटर के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर रोगियों के लिए चिकित्सा सलाह या स्वास्थ्य की जानकारी परामर्श और शिकायत निवारण जैसी सुविधा नि:शुल्क प्रदान किया जाता है।

### जननी सुरक्षा योजना-

- शुभारंभ - 2005
- उद्देश्य - संस्थागत प्रसव को बढ़ावा और मातृ मृत्युदर एवं शिशु मृत्युदर में कमी लाने के माध्यम से।
- प्रवधान - अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण महिलाओं को 1400 रु तथा शहरी महिलाओं को 1000 रु की राशि दी जाती है।

### जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम-

- शुभारंभ - 15 अगस्त 2011
- उद्देश्य - गर्भवती महिलाओं एवं जन्म से एक माह तक के नवजात शिशु को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हेतु।

### मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-

- शुरुआत - वित्तीय वर्ष 2005-2006 से
- राशि - 15 हजार रु
- उद्देश्य - निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण हेतु।
- सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देकर विवाह के फिजुल खर्च को कम करना।
- पात्रता-मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के अंतर्गत कार्ड धारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की अधिकतम दो कन्याओं को शर्त पूर्ण करने पर।

[CGPSC (main) 2011]

### ■ मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह योजना :-

- प्रोत्साहन राशि - 50 हजार रुपये
- विशेष - पति-पत्नि दोनों की निःशक्तता की स्थिति में 1 लाख रुपये प्रदान किया जायेगा।

### ■ समेकित बाल विकास के उद्देश्य - समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

1. बच्चों के उचित मानसिक (मनोवैज्ञानिक) शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना।
2. 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना।
3. मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और बीच में स्कुल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना।
4. बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना।

समेकित बाल विकास परियोजना के सेवाये - समेकित बाल विकास परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को निम्नलिखित छः सेवाये प्रदान की जाती हैं:-

क्र.	सेवा	हितग्राही
1.	टीकारण	आंगनवाडी केंद्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, किशोरी बालिकाएँ एवं 0 से 6 वर्ष तक के समस्त बच्चे।
2.	स्वास्थ्य जॉंच	आंगनवाडी केंद्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलाएं धात्री माताएँ 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे तथा किशोरी बालिकाएँ।
3.	संदर्भ सेवाएं	आंगनवाडी केंद्र के परिक्षेत्र के 0 से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाएँ / शिशुवती माताएँ।
4.	पूरक पोषाहार	आंगनवाडी केंद्र परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलाएँ, शिशुवती माताएँ 6 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे
5.	स्वास्थ्य पोषण	आंगनवाडी केंद्र के परिक्षेत्र की समस्त 15-45 साल की महिलाये, गर्भवती महिलायें, धात्री मातायें एवं शिक्षा किशोरी बालिकाएँ
6.	शाला पूर्व	आंगनवाडी केंद्र के परिक्षेत्र के 03 - 06 वर्ष तक के समस्त बच्चे

### ■ स्वावलंबन योजना-

- आरम्भ - वर्ष 2009-10 में।
- प्रवधान - विधवा, कानूनीतौर पर तलाकशुद्धा अथवा 35 से 45 आयु वर्ग को अविवाहित महिलाओं को 5 हजार तक ऋण आसान तरीके से उपलब्ध कराना।

### ■ सबला योजना-

- लक्षित समूह - 11 से 18 वर्ष तक के किशोर बालिकाएँ समूह।
- लक्षित जिला - 10 जिला (रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, रायगढ़, राजनांदगांव, कोण्डागांव, बस्तर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर में)
- प्रवधान - इस योजना के तहत 11 से 14 वर्ष तक के आयु की शाला त्यागी एवं 14-18 वर्ष तक की सभी किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार दिया जाता है।

### ■ किशोरी शक्ति योजना -

- लक्षित समूह - 11 से 13 वर्ष तक के किशोरी बालिकाएँ।
- लागू जिला - सबला योजना छोड़कर शेष जिला में संचालित।
- प्रावधान - इस योजना में पूरक पोषण आहार प्रदान नहीं किया जाता है, योजनांतर्गत प्रशिक्षण एवं विभाग द्वारा महिलाओं के लिए संचालित विभागीय संस्था पर संलयन करवाना है।

## ■ नवाजतन योजना :-

- प्रारंभ - 2012
- स्थान - कौडागांव से
- प्रमुख बिंदू - प्रदेश में कुपोषण के लिए प्रारंभ की गई योजना।  
मान में इस योजना के सकारात्मक परिणाम के तहत दिसम्बर 2015 में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुपोषण का प्रतिशत 30 प्रतिशत है।

## ■ चिरायु योजना :-

- प्रारंभ - 2014
- उद्देश्य - 0 से 18 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करना।
- विशेष - इस योजना के तहत कुल 30 बीमारियों को प्रमुखता दी गई है।

## ■ फुलवारी योजना :-

- उद्देश्य - 0 से 3 आयु वर्ग के बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराना।

[CG Vyapam (FI) 2013]

## ■ सक्षम योजना :-

- शुभारंभ - 2009 - 10
- विधवा तलाकशुदा और 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं अथवा को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने के लिए आसान शर्तों में 1 लाख तक ऋण, वापसी पांच वर्षों में 6.5 प्रतिशत की दर से सुविधा।

## ■ नवा बिहान योजना :- घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं को संरक्षण विधिक सलाह परामर्श विकित्सा, आश्रय सुविधा

## ■ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान - भारत शासन द्वारा पुरे देश के 161 चयनित जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की गई है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले का चयन किया गया है। तथापि रायगढ़ जिले में बाल स्त्री पुरुष अनुपात 943 है। जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। योजना के उद्देश्य निम्नानुसार है।

- छ.ग. में भी 22 जनवरी 2015 को किया गया
- बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करना है।
- बालिकाओं को कह उत्तरजीविका व उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना।

(CG PSC ENGG.2016)

## ■ योजना अन्तर्गत भारत शासन द्वारा चयनित जिला हेतु निर्धारित लक्ष्य :-

- जन्म के समय लिंगानुपात में बढोतरी करने हेतु प्रत्येक चयनित जिले में 10 अंको की वृद्धि करना।
- 2017 तक बाल मृत्युदर में लिंग में कमी करते हुए 4 पाइंट पर लाना।
- 2017 तक उच्चतर माध्यमिक स्तर पर न्युनतम 79 प्रतिशत बालिकाओं का पंजीयन करना।

## ■ नोनी सुरक्षा योजना :- प्रदेश में बालिकाओं को शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने बालिकाओं के अच्छे भविष्य हेतु बालिका भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने एवं बालविवाह की रोकथाम के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2014 से इस योजना को प्रारंभ किया गया है।

- 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी हो उन्हें कक्षा 12वी तक शिक्षा पूर्ण होने पर तथा 18 वर्ष तक विवाह न होने की स्थिति में वित्तीय सस्था द्वारा 1 लाख रुपये परिपक्वता राशि दी जाएगी। राज्य शासन द्वारा पंजीकृत बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम को पाँच वर्ष तक प्रतिवर्ष 5000 रु विनियोजित किए जाएंगे। आज दिनांक तक 16605 हितग्राहियों का चिन्हांकन कर लिया गया है।

## ■ छत्तीसगढ़ महिला कोष-

- गठन - 2 फरवरी 2002 (छ.ग. सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1973)
- प्रवधान - छ.ग. महिला कोष द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करना।

## ■ महतारी जतन योजना

- प्रारंभ - मई 2016
- स्थान - सलगवाकला, सोनहट (कोरिया)
- उद्देश्य - गर्भवती महिलाओं को कुपोषण मुक्त करना।
- प्रावधान - इस योजना का क्रियान्वयन आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ गर्भवती महिलाओं को पोष्टिक व गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

## ■ मुख्यमंत्री 'अमृत' योजना :-

- प्रारंभ - 29 अप्रैल 2016
- स्थान - सुकमा
- उद्देश्य - 3 से 6 वर्ष के बच्चों को कुपोषण मुक्त करना
- प्रावधान - आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को सुगंधित व मीठा दूध वितरित करना।

नोट: - इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में सहकारी दुग्ध ब्राण्ड देवमोग का 100 एम एल दूध वितरित किया जा रहा है।

## ■ देश का पहला बन स्टाप सेंटर सखी का शुभारंभ :-

- शुभारंभ - 16 जुलाई 2015
- केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमति मेनका गांधी और डॉ. रमन सिंह ने कालीवाड़ी के नजदीक जिला अस्पताल परिसर में बन स्टाप सेंटर का विधिवत शुभारंभ
- टोल फ्री न. 181

## कृषि विभाग

## ■ शाकम्बरी योजना :-

- उद्देश्य - लघु सीमांत कृषकों को कूप निर्माण एवं पम्प के लिए अनुदान।

## ■ किसान समृद्धि योजना :-

- उद्देश्य - वृष्टिछाया जिलों में एवं अकाल की स्थिति के निवारण हेतु।
- क्षेत्र - वृष्टिछाया जिले के 25 विकासखण्ड एवं सभी 85 आदिवासी विकासखण्ड में लागू।

## ■ इंदिरा खेत योजना :-

- उद्देश्य - सूखे से निजात हेतु सिंचाई पम्प की स्थापना।

## ■ कृषक जीवन ज्योति योजना :-

- उद्देश्य - 5 HP तक सिंचाई पम्पों को बिजली प्रदाय करना।

## ■ भूईयां :-

- उद्देश्य - किसानों को कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख एवं नक्शा खसरा प्रदान।

## ■ सौर सुजला योजना -

- प्रारंभ - 1 नवम्बर 2016
- स्थान - रायपुर
- 57 हजार किसानों को वितरण का लक्ष्य 3 एच.पी. के मोटर पम्प 1 लाख रुपये एस.टी व एस.सी. को 7 हजार रुपये ओ.बी.सी. को 12 हजार, सामान्य वर्ग को 18 हजार
- 5 एच.पी. के मोटर पम्प 4.50 लाख रुपये को एस.सी. व एस.टी हेतु 10 हजार रु. ओ.बी.सी. हेतु 15 हजार रु. एवं 20 हजार रु.
- यह वितरण लक्ष्य 1 नवम्बर 2019 तक का है।



### ■ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :-

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में छ.ग. के 13 लाख 68 हजार 302 किसान शामिल हो चुके हैं।
- यह बीमा चालू खरीफ मौसम के लिए है। इनमें बारह लाख नौ हजार 357 ऋणी तथा एक लाख 56 हजार 945 अऋणी किसान शामिल हैं।
- खरीफ मौसम 2016 में 12 लाख तीन हजार 919 किसानों का बीमा हुआ था इनमें 11 लाख 63 हजार 658 ऋणी तथा 40 हजार 261 अऋणी किसान शामिल थे।

### ■ किसान तरक्की योजना :-

- मरहान जमीनों पर सामूहिक रूप से साग-सब्जी की खेती शुरू करने की नई पहल शुरू हुई है।
- जिला प्रशासन दंतवाड़ा द्वारा जिले की दस गांवों की लगभग 1 हजार एकड़ मरहान जमीनों को विकसित कर सब्जी - भाजी की खेती करने किसान तरक्की योजना की शुरुआत की गई।

### ■ प्रधानमंत्री जन - धन योजना (पीएमजेडीवाई)

- प्रधानमंत्री जन - धन योजना (पीएमजेडीवाई) औपचारिक रूप से 28 अगस्त, 2014 को आरंभ की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत सार्वभौमिक ऋण, बीमा और पेंशन के लिए हर घर के लिए कम से कम एक सामान्य बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं के लिए वित्तीय साक्षरता की परिकल्पना की गई है।
- दिनांक 8.2.2017, की स्थिति में 1.22 करोड़ खाते खोलकर 99.96 प्रतिशत परिवार सम्मिलित हो चुके हैं।

### ■ मोचो बाड़ी परियोजना :-

- दंतवाड़ा जिलों में किसानों को जैविक खेती के जरिये आत्म निर्भर बनाने के लिये चल रही मोचो बाड़ी परियोजना की प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केन्द्र बन गयी।
- उद्देश्य - किसानों को साग - सब्जियों की खेती तथा धान की उन्नत खेती के लिये प्रोत्साहित करना।

## शिक्षा विभाग

### ■ छत्तीसगढ़ युवा सूचना कांति योजना :-

- शुभारंभ - 2012
- उद्देश्य - युवाओं में सूचना कांति को बढ़ावा ।
- क्षेत्र - पूरे प्रदेश
- पात्रता - इजीनियरिंग एवं मेडिकल के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को लैपटाप ।  
- स्नातक, स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को निःशुल्क टेबलेट ।

### ■ छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना :-

- शुभारंभ - 2005
- उद्देश्य - बालिकाओं में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा ।
- क्षेत्र - प्रथम चरण - ग्रामीण क्षेत्र के समस्त बालिकाओं  
- शहरी क्षेत्र की ST / SC एवं समस्त BPL बालिकाओं  
द्वितीय चरण - प्रदेश के समस्त बालिकाओं को ।

### ■ सरस्वती सायकल योजना :-

- शुभारंभ - 2004-05
- उद्देश्य - बालिकाओं को परिवहन व्यवस्था
- पात्रता - हाईस्कूल में अध्ययनरत बालिकाएँ  
- समस्त ST / SC एवं BPL परिवार की बालिकाएँ



■ निःशुल्क शिक्षा का अधिकार (उडान) -

- जिला - कवर्धा
- उद्देश्य - बैगा आदिवासी बच्चों की शिक्षा के प्रचार - प्रसार हेतु ।

■ मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना -

- शुभारंभ - 2014
- उद्देश्य - नक्सल हिंसा से पीड़ित क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार ।
- घटक - इसके चार घटक हैं
  1. आस्था - आस्था के तहत एक ऐसी पीड़ित परिवारों के बच्चों को पहली कक्षा से बारहवी तक गुरुकुल पद्धति से शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा के लिए दंतेवाड़ा में आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है ।
  2. निष्ठा - इसके तहत गांव के बच्चों के शिक्षा के लिए सरकारी प्रयासों के साथ - साथ समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाता है ।
  3. सहयोग - सहयोग के अंतर्गत नक्सल हिंसा के बेसहारा हुये बच्चों को कॉलेज स्तर तक की पढ़ाई की सुविधा देने का प्रावधान है ।
  4. प्रयास - प्रयास के तहत ग्यारहवी और बारहवी कक्षाओं के बच्चों को उनकी नियमित पढ़ाई के साथ - साथ पीईटी, पीएमटी, और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग प्रदान की जाती है ।

- प्रयास विद्यालय - अनुसूचित जनजाति जिलों में प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। विद्यालय में कक्षा 12वी तक की शिक्षा प्रदान करते हुए राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी एवं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। राज्य में इस प्रकार की 06 विद्यालय संचालित है।

- रोशनी कार्यक्रम - प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों में संचालित, इसके अन्तर्गत 15 से 35 वर्ष के युवाओं को कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

वन विकास विभाग

■ इन्द्रा हरेली सहेली योजना -

- उद्देश्य - अनुपयोगी भूमि पर फलदार वृक्ष लगाने हेतु ।

- सामाजिक वानिकी योजना - गांव के आसपास के खाली जगहों पर समाज के लोगों द्वारा मिलकर फलदार वृक्ष लगाकर हरियाली में वृद्धि करना।

### स्वास्थ्य विभाग

#### ■ स्पर्श :-

- उद्देश्य - कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु।  
यह अभियान वर्ष 2015 के लिए अगस्त माह से अक्टूबर (3 माह) की अवधि तक चलाया गया।

#### ■ दिव्यांगजनों के लिए "निरामया" बीमा योजना -

- राज्यपाल बलरामदास टंडन और मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दिव्यांगजनों के लिए राज्य में "निरामया" बीमा योजना की शुरुआत किया। भारत सरकार के सहयोग और छ.ग. के प्रयास से प्रारंभ इस योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए बहुविकलांगता से पीड़ित दिव्यांगजनों का एक-एक लाख रुपये का बीमा किया जायेगा।

#### ■ मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना -

- 0-15 वर्ष तक के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को।

#### ■ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना :-

- शुभारंभ - 21 अक्टूबर 2012
- राशि - 30 हजार रुपये से बढ़कर 50 हजार रुपये कर दिये
- इसके साथ बायोमैट्रिक्स युक्त स्मार्टकार्ड प्रदान किया जाता है।

### संरचनात्मक विकास योजना

#### ■ मुख्यमंत्री एल.ई.डी लैम्प वितरण योजना :-

- शुभारंभ - 13 अप्रैल 2016
- स्थान - राजनांदगांव से

#### इस योजना के तहत -

- बीपीएल परिवारों को 3-3 एलईडी बल्ब नि:शुल्क प्रदान
- एपीएल परिवार को 10 नग बल्ब सशुल्क प्रदान जिसकी प्रति बल्ब राशि 85 रु है। किन्तु अब 65 रु में दिया जा रहा है।
- वॉट - 9 वॉट
- गारंटी - 3 वर्ष के लिए

#### ■ अटल आवास योजना :-

- उद्देश्य - समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को न्यूनतम दर पर भवन उपलब्ध कराना।

#### ■ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन योजना :-

- प्रारंभ - 21 फरवरी 2016
- स्थान - कुरुभाठ, डोंगरगढ़, राजनांदगांव
- विशेष - श्री मोदी जी ने इस अवसर पर धमतरी जिले के कोटभरी निवासी वयोवृद्ध महिला 104 वर्षीय श्रीमती कुंवर बाई के पैर छुकर उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया। उन्होंने बकरी बेच कर शौचालय का निर्माण कराया है।
- इस मिशन के शुभारंभ के साथ प्रधानमंत्री ने राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी व छुरिया नामक 2 विकासखण्डों को खुले में शौच मुक्त विकासखण्डों को खुले में शौच मुक्त विकासखण्ड घोषित किया।

- नोट:-
- प्रधानमंत्री ने नया रायपुर में सबके लिए आवास योजना का शिलान्यास किया।
  - छ.ग. में जेनरिक दवाई की बिक्री हेतु 100 मेडिकल स्टोर्स योजना का शुभारंभ किया।

#### ■ हमर छ.ग. योजना :-

- प्रारंभ - 1 जुलाई 2016
- स्थान - नया रायपुर
- उद्देश्य - ग्राम व नगर पंचायत के जन प्रतिनिधियों को प्रदेश शासन की योजनाओं व उपलब्धियों से अवगत कराना।
- प्रमुख तथ्य - छ.ग. शासन की उपलब्धियों को जनसंपर्क विभाग द्वारा निर्मित हमर छ.ग. फिल्म के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है।  
- इसके लिए नया रायपुर में इमर्सिव डोम 5डी थियेटर में डाक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शित की जा रही है। यह मध्य भारत का पहला इमर्सिव डोम है।

#### ■ बस्तर नेट परियोजना :-

- बस्तर संभाग के निर्धारित रूप से नेटवर्क से जोड़ने के लिए।
- राज्य सरकार बस्तर में यह डिजिटल हाइवे होगा।
- 40 करोड़ के लागत से 832 कि.मी. तक विछेगी

#### ■ मोर जमीन मोर मकान योजना :-

- शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को सरकार उनकी जमीन पर मोर जमीन-मोर मकान योजना की शुरुआत की जा रही है। यह योजना प्रदेश के सभी 168 निकायों में लागू होगी
- पहले चरण में इसे 36 निकायों में लागू किया जा रहा है।
- मोर जमीन - मोर मकान योजना के तहत 30 वर्ग मीटर एरिया तक के आवास का नव निर्माण व विस्तार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

- ग्राम उदय से भारत उदय अभियान :- 14 अप्रैल से ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत हुई। 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक तीन चरणों में आयोजित किया गया। इसके चरण में 14 अप्रैल से 16 अप्रैल को सामाजिक समरसता, दूसरे चरण में 17 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ग्राम किसान सभा तथा तीसरे चरण में 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक विशेष ग्रामसभा आयोजित किए गए।
- बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार से जोड़ने के पूर्व से व्यवसायगत लोगों के व्यवसाय को उन्नत करने जिले में संचालित महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के क्रियान्वयन में कांकेर जिला छ.ग. में प्रथम स्थान में है। कांकेर जिले ने योजना के तहत प्राप्त लक्ष्य से अधिक लगभग 120 प्रतिशत लक्ष्य के पूर्ति पर अबल स्थान प्राप्त किया।

- मुख्यमंत्री बाड़ी-बांस योजना शुरू :- राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बांस का उपयोग और उसकी बढ़ती हुई मांग को देखते हुए बांस के उत्पादन के लिए बाड़ी बांस योजना शुरू की गयी है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में ढाई करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

- निःशुल्क किताबें वितरण 2005-06 से संचालित :-

- छात्रों को निःशुल्क सायकलें वितरण - 2013 -14 से संचालित।

- मुख्यमंत्री बाल भविष्य के अंतर्गत - आस्था निष्ठा एवं प्रयास विद्यालय संचालित है।

### ■ ई - डिस्ट्रिक्ट परियोजना (चॉइस 2.0):-

- उद्देश्य - परियोजना का मूल उद्देश्य शासन के दस्तावेज तथा जानकारी का कहीं भी - कभी भी आधार पर नागरिकों को उपलब्ध कराना है। इस परियोजना की कार्य प्रतिभा इलेक्ट्रानिक है। जो नागरिकों को सरलता एवं पारदर्शिता से शासन की सेवायें उपलब्ध कराती है।

### ■ चिप्स की 'सीजी स्वन 2.0' परियोजना का शुभारंभ :-

- केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने छ.ग. के 16वें राज्योत्सव समारोह के समापन अवसर पर चिप्स की सीजी स्वन (C.G. Swan) 2-0 परियोजना का शुभारंभ किया।
- यह परियोजना राज्य में संचालित अनेक बहद परियोजनाओं जैसे ई - डिस्ट्रिक्ट सीसीटीएमए, वाई - फाई सिटी, लोक सेवा केन्द्र, सामान्य सेवा, च्वाईस, जीआईएस, छत्तीसगढ़ डाटा सेंटर, सेतु आदि के संचालन में सहायता प्रदान कर रही है।

### ■ दीनदयाल आवास योजना :-

- उद्देश्य - समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध कराना।
- हितग्राही पात्रता - बी. पी.एल. परिवारों को।

### ■ अटल विहार योजना :-

- उद्देश्य - 5 हजार से अधिक आवादी वाले शहरों / गांवों, औद्योगिक / कुटीर उद्योगों के कलेक्टर तथा उनके आस - पास के क्षेत्रों में सर्वसुविधायुक्त बसाहट विकसित करना तथा इन क्षेत्रों में उच्च गुणवत्तायुक्त आवास उचित कीमत पर उपलब्ध कराना।

### ■ मुद्रा (Micro Units Development Refinance Agency) योजना:-

- छोटे गैर कॉरपोरेट (NCSBS) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।
- मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को घोषित की गई है। यह न केवल इन उद्यमियों के जीवन स्तर में सुधार लायेगा वरन् नये रोजगार सृजन करेगा एवं देश की उच्च विकास दर को प्राप्त करने में योगदान देगा। योजना के तहत छोटे उद्योगों एवम् दुकानदारों को ऋण सुविधा तीन चरणों

शिशु ऋण योजना - कुटीर उद्योग की शुरुआत के समय मुद्रा बैंक के तहत पचास हजार के ऋण का प्रावधान है।

किशोर ऋण योजना - इसमें ऋण की राशि पचास हजार से पांच लाख तक की जा सकती है।

तरुण ऋण योजना - इसमें पाँच से दस लाख तक का ऋण लिया सकता है।

### ■ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना -

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) अंतर्गत राज्य में प्रथम चरण में 11 जिले में 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई।
- दिनांक 01 अप्रैल 2008 से राज्य के समस्त जिलों में योजना प्रभावशील है।
- राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013-14 से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदाय किया जा रहा है। अतिरिक्त 50 दिवस पर होने वाला व्यय का राज्य शासन द्वारा किया जाता है।
- योजनांतर्गत वर्तमान में रु. 167/- प्रति दिवस मजदूरी दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
- योजनांतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का 60:40 अनुपात में राशि व्यय का प्रवधान है।

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कुछ कार्यों के लिये मशीनों का उपयोग कुछ शर्तों के अधीन दिया गया है -

भूमि का उत्पादकता बढ़ाने हेतु - कुओं

खोदने के लिए - पंप सेट, कम्प्रेसर हैमर, लिफ्ट ड्रिवाईस, सड़क निर्माण के लिये-पादर रोलर, ट्रेलर माउन्टेड, वाटर ब्रोसर स्टैटिक स्मूथ विल्ड रोलर आफ 8-20 टन वेट, मैकिनकल मिक्सर, वाइब्रेटर, भवन निर्माण के लिए-मिक्सर और मैकिनकल वाइब्रेटर, भवन निर्माण सामग्री का उत्पादन-मशीन फार सी एस सी एस ई यी का प्रवधान किया गया है।

मातृत्व अवकाश भत्ता - विगत 12 माह में 50 दिवस मजदूरी कार्य किया है उनको मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में एक माह का मजदूरी राशि का भुगतान किया जा रहा है जिसका वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

### ■ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान" (NRLM) -

- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुर्नगठन कर इसे समाप्त करते हुए दिनांक 01.04.2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया।
- योजनांतर्गत वित्त पोषण केन्द्र तथा राज्य के मध्य 60.40 के अनुपात के अनुपात में किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना है।

### ■ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) -

- इंदिरा आवास योजना के स्थान पर दिनांक 01.04.2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) संचालित की जा रही है।
- योजनांतर्गत इस वर्ष 166801 आवास निर्माण का लक्ष्य की पूर्ति के लिए 208942.40 लाख का एलोकेशन निर्धारित है।
- वर्ष 2016-17 में SECC डाटा 2011 में दिए गए आकड़ों के आधार पर ग्राम सभा द्वारा हितग्राहियों चयन किया जा रहा है। न्यूनतम 25 वर्ग मीटर में ही आवास का निर्माण किया जाना है।
- योजनांतर्गत राशि का अनुपात 60.40 निर्धारित है। वर्ष 2016-17 से सामान्य जिलों के लिए राशि रु. 1.20 लाख एवं आई. ए.पी. जिलों के लिए 1.30 लाख प्रति आवास इकाई लागत निर्धारित की गई है जो 03 किरतों में 40 प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत के मान से एफ.टी.ओ.(FTO) के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में राशि का भुगतान किया जा रहा है।
- सामान्य जिले के प्रत्येक हितग्राही को कुल राशि रु. 1.47 लाख एवं आई.ए.पी. जिलों के प्रत्येक हितग्राही को कुल राशि रु. 1.57 लाख मिलेगा।

### ■ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -

- गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की कल्पना अच्छी सड़कों के बिना संभव नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक गांव को बारामासी सड़कों से जोड़ा जाये। अतः भारत सरकार द्वारा 25.12.2000 को "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी।
- "सामान्य क्षेत्रों में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र एवं आई.ए.पी. जिलों में 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना है।
- प्रभावित 07 जिलों के 29 विकासखण्डों का चयन करते हुए इन विकासखण्डों में 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को।

### ■ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना -

- 23 अप्रैल 2011 से लागू राज्य घोषित योजना के अंतर्गत ऐसी बसाहटें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों में नहीं हैं, के अपरूप कोर नेटवर्क में शामिल उन बसाहटों को जोड़ने का प्रवधान है। वर्तमान में इस योजना अंतर्गत प्रदेश के सामान्य विकासखण्डों के 2501 या उससे अधिक जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) की बिना जुड़ी बसाहटों को बारहमासी डामरीकृत सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ते हुए सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाना है।



## खाद्यान्न योजना

### ■ नागरिक पंजीयन प्रणाली -

- छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म मृत्यु की घटना का पंजीकरण छत्तीसगढ़ जन्म मृत्यु पंजीयन नियम 2001 के अंतर्गत किया जाता है।
- छत्तीसगढ़ में वर्ष 2008 से पूर्व जन्म मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण पुलिस थाने में किया जाता था, जो जनवरी 2008 से शहरी एवं ग्रामीण ईकाइयों को हस्तांतरित किया गया।
- ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत प्राथमिक पंजीकरण इकाई है। राज्य के 27 जिलों में 10975 ग्राम पंचायत में सचिव, पंचायत के अधिकार क्षेत्र के भीतर जन्म मृत्यु पंजीयन करते हैं।
- शहरी क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी जन्म मृत्यु पंजीयक हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में सभी शासकीय अस्पताल यथा, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र एवं अन्य शासकीय अस्पताल में घटित महिला एवं बाल विकास विभाग 02 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास सेवा परियोजना प्रारंभ किया गया।

### ■ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का राज्य में शुभारंभ -

- मुख्यमंत्री डॉ. रमनसिंह ने कृषि उपज मंडी परिसर बसंतपुर राजनांदगांव में जिले की लगभग पांच हजार महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन का वितरण कर उन्हें रक्षा बंधन और तीजा का उपहार दिया। डॉ. रमन सिंह ने राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया।
- सिर्फ 200 रुपये के पंजीयन शुल्क पर एक दो बर्नर वाला गैस चूल्हा, भरा हुआ सिलेण्डर, रेग्युलेटर और गैस पाईपन सहित गैस कार्ड और कनेक्शन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 200 रुपये में से बाद में 170 रुपये भी हितग्राहियों को वापस मिलेंगे।
- 2011 जनगणना के आधार पर 10 लाख गरीब परिवार को कनेक्शन दिया जायेगा।

### ■ संकटग्रस्त लोगों की मदद के लिए अब एकीकृत हेल्प लाईन 112 शुरू करने का प्रस्ताव :-

राज्य सरकार आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक विपदा और गंभीर बीमारियों से संकटग्रस्त लोगों को तुरंत मदद के लिए एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन नम्बर 112 शुरू करने का प्रस्ताव है। अपराध नियंत्रण में भी यह हेल्प लाईन नंबर काफी उपयोगी होगा।

#### नोट -

- मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना - 1 अप्रैल 2007 से लागू है।
- अन्त्योदय अन्नयोजना - अति गरीब परिवार के लिए मार्च 2001 से लागू है।
- अन्नपूर्णा योजना - 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के बेसहारा वृद्धों के लिए अक्टूबर 2001 से लागू है।
- चना योजना - जनवरी 2013 से
- पीला मटर दाल - मई 2013 से
- मेरी पीडीएस मेरी मर्जी योजना 2012 से लागू है।
- सरकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियाकलाप 2007 से पूर्णतः कम्प्यूटीकृत है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सतत निगरानी हेतु फरवरी 2008 को चावल उत्सव शुरू किया।



### सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है।
- जनवरी 2017 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1320 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 11029 कुल 12347 उचित मुल्य की दुकानें संचालित है।

#### ■ छ.ग. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 -

- छ.ग स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है।
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत राशनकार्ड धारकों के हित में राशन की तालिका निम्नानुसार है -

#### योजनांतर्गत खाद्यान्न की पात्रता एवं दर -

क्र.	योजना का नाम	खाद्यान्न	शक्कर	रिफाईन्ड , आयोडाईज्ड अमृत नमक	मिट्टी तेल	चना
1.	प्राथमिकता (नीला) राशनकार्ड	7 किलो प्रति सदस्य, 1 रु. प्रति किलो की दर से प्रतिमाह	प्रति राशनकार्ड 1 किलोग्राम, 13.50 रु. प्रति किला दर से	अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो प्रति परिवार, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलो प्रति परिवार निःशुल्क	नगरीय क्षेत्र में अधिकतम - 2 ली. ग्रामीण क्षेत्र में - गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम - 2 ली. की दर से तथा अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम 3 ली. न्यूनतम 15 रु. एवं अधिकतम 17.20 रु. प्रति ली. की दर से प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह	अनुसूचित विकासखण्ड के हितग्राहीयों को प्रतिमाह 02 किग्रा. 5रु. प्रतिकिलो
2.	अन्त्योदय (गुलाबी) राशनकार्ड	35 किलो 1 रु. प्रति किलो की दर से प्रति माह प्रति राशनकार्ड				
3.	अन्नपूर्णा (स्पेशल गुलाबी) राशनकार्ड	10 किलो निःशुल्क, 25 किलो 1 रु. प्रति किलो की दर से प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड				
4.	एकल निराश्रित (गुलाबी)	10 किलो निःशुल्क प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड				
5.	निःशक्ताजन (हरा) राशनकार्ड	10 किलो 1 रु. प्रति किलो की दर से प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड	निरंक	निरंक		निरंक

(स्रोत :- आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 , पेज क्रं - 47)

39

## नगरीय निकाय प्रशासन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 थ के तहत नगरीय निकायों की संवैधानिक व्यवस्था किया गया है। जिसके अनुसार -

क्र.	व्यवस्था	निकाय	जनसंख्या
1.	संक्रमणशील क्षेत्रों	नगर पंचायत	5000 - 20,000
2.	लघुत्तर नगरीय क्षेत्रों	नगर पालिका परिषद	20,000 - 1 लाख
3.	वृहत्तर नगरीय क्षेत्रों	नगर निगम	1 लाख से अधिक

- नोट -
- संक्रमणशील क्षेत्रों से आशय ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र से है।
  - नगरीय निकाय गठन का अधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा होता है।
  - 74वाँ संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान अनुसूची 12 में नगरीय निकाय का प्रावधान किया गया है, यह प्रावधान संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत सम्पूर्ण भारत में 20 अप्रैल 1993 से लागू है।
  - विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 के अंतर्गत दिनोंक 4/12/2001 के अनुसार म.प्र. पुर्नगठन अधिनियम 2000 द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में अनुकूलन आदेश के तहत प्रवृत्त किया गया है।
  - छत्तीसगढ़ राज्य भाग 1 दिनोंक 19/7/2012 में प्रकाशित हुआ।
  - संविधान (वृहत्तर संशोधन) अधिनियम 1992 (20 अप्रैल 1993) द्वारा प्रदत्त शक्ति कि प्रयोग में विधियों के अनुकूलन आदेश 2001 द्वारा

भाग 9 - क  
नगरपालिकाएँ

### 243 - त (परिभाषाएँ)

- "महानगर क्षेत्र" से दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें एक या अधिक जिले समाविष्ट हैं और जो दो या अधिक नगरपालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है तथा जिसे राज्यपाल इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा, महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करे।
- "नगरपालिका" से अनुच्छेद 243-थ के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है।
- जनसंख्या से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो गए हैं।

### 243 - थ (नगरपालिकाओं का गठन) -

- प्रत्येक राज्य में इस भाग के उपबंधों के अनुसार किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिये अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए कोई नगर पंचायत का (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो)
- ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी जिसे राज्यपाल, क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापना द्वारा दी जा रही है।
- इस अनुच्छेद में "संक्रमणशील क्षेत्र" लघुत्तर नगरीय निकाय क्षेत्र" या वृहत्तर नगरीय क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे राज्यपाल इस भाग के प्रायोजनों के लिये उस क्षेत्र की जनसंख्या उसमें जनसंख्या की सघनता स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व किया से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्व या अन्य ऐसी बातों को जो वह ठीक समझे ध्यान में रखते हुए लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

## 243 - द (नगरपालिकाओं की संरचना) -

- किसी नगरपालिका के सभी स्थान नगरपालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जायेंगे और इस प्रायोजन के लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन - क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा जो वार्ड के नाम से ज्ञात होंगे।
- किसी राज्य का विधानमंडल द्वारा उपबंधित कर सकता है।

## 243 - घ (वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना) -

- ऐसी नगरपालिका क जिसकी जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जायेगा, जो एक या अधिक वार्ड से मिलकर बनेगी।
- वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी नगरपालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य होगा।

## 243 - न (स्थानों का आरक्षण) -

- प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और
- इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से अनुसार वही होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है।
- आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान, यथारिथति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे (किन्तु छ.ग. में 50 प्रतिशत हो गया है।)
- नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य विधान-मंडल विधि द्वारा, उपबंधित करे।

## 243 - प (नगरपालिका की अवधि) -

- प्रत्येक नगरपालिका, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विधित नही कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पाँच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं।
- यदि छः माह से कम अवधि बचा हो तो निर्वाचन आवश्यक नहीं है, किन्तु छः माह से अधिक समय बचा हो तो चुनाव किया जा सकता है किन्तु शेष कार्यकाल हेतु।

## 243 - फ (सदस्यता के लिये निरर्हताएँ) -

## 243 - ब (नगरपालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व)

- इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल, द्वारा स्थापित विधि

## 243 - भ (नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ) -

- ऐसे कर शुल्क पथकर और फीसे उद्गृहीत संग्रहित और विनियोजित करने के लिए किसी नगरपालिका को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत कर सकेगा।
- राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के लिए ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा।

## 243 - म (राज्य वित्त आयोग) -

- अनुच्छेद 243-झ के अधीन गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा

## 243 - य (नगरपालिकाओं की लेखाओं का संपरीक्षा) -


- किसी राज्य की विधानमंडल विधि द्वारा नगरपालिकाओं द्वारा लेखे रखे जाने और लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा।

### छ.ग. में नगरीय प्रशासन

- छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 को 2016 में संशोधित कर छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 2016, राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया ।
- छ.ग. नगरीय निकाय की संरचना -

नगरीय निकाय	छ.ग. में संख्या	प्रशासनिक प्रमुख	राजनैतिक प्रमुख		
			अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	पार्षद
1. नगर निगम	13	नगर निगम आयुक्त (Commissioner)	महापौर (प्रत्यक्ष)	प्रधान नहीं	पार्षद (प्रत्यक्ष चुनाव)
2. नगर पालिका परिषद	44	मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO)	अध्यक्ष (प्रत्यक्ष)	उपाध्यक्ष (अप्रत्यक्ष पार्षद में से एक)	पार्षद (प्रत्यक्ष चुनाव)
3. नगर पंचायत	112	मुख्य नगर अधिकारी (CMO)	अध्यक्ष (प्रत्यक्ष)	उपाध्यक्ष (अप्रत्यक्ष पार्षद में से एक)	पार्षद (प्रत्यक्ष चुनाव)

मध्य प्रदेश नगरपालिका एवं पंचायती राज्य विधेयक - 74 वां संसोधन 1992



(आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 एवं शासकिय वेबसाइट)

**नगर निगम (13)**

- ♦ सर्वाधिक नगर निगम वाला जिला—(1) दुर्ग — (03 — दुर्ग, भिलाई, चरौदा), रायपुर (02, रायपुर, बीरगांव)
- ♦ नगरीय निकाय को करारोपण की शक्ति प्रदान राज्य शासन करता है।
- ♦ छ.ग. के सबसे प्राचीन नगर निगम — रायपुर (1967), नवीनतम — चरौदा (2016)

[CG PSC(ABEO)2014]

**नगरपालिका (44)**

- ♦ सर्वाधिक नगरपालिका वाले जिले दुर्ग एवं जांजगीर — चांपा
- जांजगीर—चांपा (04) — 1. जांजगीर 2. चांपा 3. अकलतरा 4. सक्ती

**नगर पंचायत (112)**

- ♦ सर्वाधिक नगर पंचायत वाला जिला जांजगीर—चांपा (11)
- 1. खरौद 2. नया बाराद्वार 3. शिवरीनारायण 4. बालोद 5. अड़भार 6. जैजैपुर 7. डभरा 8. चन्द्रपुर 9. सरगांव 10. नावागढ़ 11. राहौद

**विशेष —** • भारत प्रथम नगर निगम मद्रास में गठन किया गया ।

• नगरीय निकाय संवैधानिक व्यवस्था के तहत

1. नगर निगम
2. नगरपालिका
3. नगर क्षेत्र समितियाँ
4. अधिसूचित क्षेत्र समिति
5. छावनी परिषद

- पार्षद चुनाव हेतु न्युनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए । [cg PSC Pre. 2016]
- नगर पालिका के अध्यक्ष हेतु न्युनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए । [cg PSC Pre. 2016]
- यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय राज्य सरकार लेगा, केन्द्र सरकार के अनुमोदन में अध्यक्षीन । [cg PSC (Pre.) 2016]
- कोई भी व्यक्ति नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष और पार्षद पद का चुनाव एक साथ (simultaneously) लड़ सकता है । [cg PSC (Pre.) 2016]
- नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष (president of municipal council) प्रत्यावर्तन के विषय में (RECALL) के विषय में [cg PSC (Pre.) 2016]
- 1. परिषद के 3/4 निर्वाचित सदस्यों के हस्तांतरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है ।
- 2. सामान्य मतदाताओं द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है ।
- 3. पूरे कार्यकाल में केवल एक बार ही प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है ।
- नगरपालिका परिषद (municipal council) की अवधि पांच वर्ष तक होती है । तथा अध्यक्ष एवं पार्षद (councillors) का सामान्य कार्यकाल परिषद की अवधि (duration of municipal council) पर निर्भर होता है । अर्थात् सामान्य 5 वर्ष का होता है । [cg PSC (ADI.) 2017]
- यदि नगरीय निकाय के किसी भी परिषद पांच वर्ष की अवधि के पूर्व भंग की जाय तो, नई परिषद, पूर्व परिषद की शेष अवधि तक बनी रहेगी । [cg PSC ADI. 2017]
- नगरपालिका परिषद के विषय में सही क्या है —
  1. यह मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है
  2. तब इसे वित्त समिति या सपरिषद अध्यक्ष के समक्ष रखा जाता है ।
  3. वित्त समिति या सपरिषद अध्यक्ष बजट को उपान्तरित कर सकते हैं ।
  4. तत्पश्चात् नगरपालिका परिषद बजट को परिवर्तन सहित या बिना किसी परिवर्तन को पारित करेंगी
  5. तत्पश्चात् इसे अंतिम स्वीकृति के लिए राज्यशासन को भेजा जाएगा ।